

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक : 387646

दिनांक:- 06/09/18

ग्रा0वि0-08(MIS)-123/2011

प्रेषक,

सी0पी0 खण्डूजा,
निदेशक (सा0वा0) ।

सेवा में

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वय,
सभी उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वय,
बिहार ।

विषय- दिनांक 14.09.2018 को महात्मा गाँधी नरेगा विषय पर आयोजित कार्यशाला में भाग लेने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि मनरेगा अंतर्गत कार्यों को बेहतर एवं जन उपयोगी बनाने के उद्देश्य से दिनांक- 14.09.2018 को एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन "ज्ञान भवन, गाँधी मैदान, पटना" में आयोजित किया गया गया है। इस कार्यशाला में सभी उप विकास आयुक्त, निदेशक (DRDA), सभी कार्यक्रम पदाधिकारी, सभी कार्यपालक अभियन्ता, सभी सहायक अभियन्ता, वरीय लेखा पदाधिकारी, DFM (District Finance Manager), DAM (District Audit Manager), मनरेगा के MIS ऑफिसर एवं CFT प्रखण्डों के जीविका के BPM (Block Program Manager) भाग लेंगे। इनके अतिरिक्त प्रत्येक जिला से मनरेगा अंतर्गत अच्छे कार्य करने वाले एक कनीय अभियन्ता एवं तीन पंचायत रोजगार सेवक कार्यशाला में भाग लेंगे जिनका चयन जिला द्वारा किया जायेगा। कार्यशाला में मुख्य रूप से मनरेगा कार्यों को बेहतर एवं जन उपयोगी बनाने के उद्देश्य से मनरेगा कार्यान्वयन को सुधारने के संबंध में विशेष रूप से चर्चा की जायेगी। विभाग द्वारा मनरेगा से संबंधित उपलब्धि सूचकों (Performance Indicators) के संबंध में विस्तृत प्रस्तुतीकरण एवं प्रतिभागियों के साथ चर्चा की जायेगी:-

1. अपूर्ण कार्य वर्ष 2016-17 और उसके पूर्व, 2017-18 और 2018-19 के अपूर्ण कार्यों की स्थिति ।
2. व्यय प्रतिशत अनुसार अपूर्ण कार्यों की स्थिति ।
3. कृषि एवं कृषि संबंधी कार्यों पर व्यय प्रतिशत ।
4. वृक्षारोपण कार्य पर वर्ष 2015-16 से 2018-19 में प्राक्कलन के विरुद्ध व्यय का प्रतिशत एवं वृक्षारोपण कार्य के सफल कार्यान्वयन हेतु सुझाव।
5. इंदिरा आवास/प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) के लाभार्थियों को मनरेगा अंतर्गत कार्य प्रारम्भ करने और कार्य पूर्ण करने में भारी अंतर एवं क्षमता अनुरूप, मानव दिवस सृजित नहीं होने की समीक्षा।
6. नये कार्यों की विविधीकरण एवं प्राथमिकता निर्धारण तथा स्थाई परिसम्पत्तियों के सृजन पर चर्चा ।

7. मानव दिवस सृजन का पूर्व के वर्षों से तुलनात्मक विश्लेषण एवं वर्षाकाल में मानव दिवस सृजन की संभावनायें ।
8. ससमय मजदूरी का भुगतान, विलम्ब के कारण मुआवजे की मंजूरी एवं भुगतान की समीक्षा ।
9. पूर्व के वर्षों की मजदूरी एवं सामग्री मद का भुगतान नहीं किये जाने के कारणों की समीक्षा ।
10. मजदूरी मद के Rejected FTO's को पुनः सृजन कर भुगतान नहीं किये जाने की समीक्षा ।
11. जिला स्तर, प्रखण्ड स्तर एवं पंचायत स्तर पर अनेक बैंक खातों को बंद करने एवं SEGF खाते में राशि स्थानान्तरित किये जाने की समीक्षा । विभागीय पत्र- 324635 दिनांक 29.08.17 एवं BRDS के पत्रांक 1190 दिनांक 31.08.18 का अनुपालन)
12. अंकेक्षण प्रतिवेदन अनुसार मनरेगा अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर लंबे समय से दिये गये अग्रिम राशि की वसूली एवं समायोजन की समीक्षा एवं चेक-इन-ट्रांजिट की राशि का कैशबुक में वर्षो पश्चात भी समायोजन नहीं करने की समीक्षा।
13. प्रखंड स्तर पर संधारित अभिलेखों विशेषकर वित्त सम्बंधित अभिलेखों की स्थिति एवं NeFMS लागू होने की पृष्ठभूमि में परिवर्तन की आवश्यकता। इसके संबंध में कार्यक्रम पदाधिकारियों को आवश्यक तैयारी कर आना बेहतर होगा।
14. आधार सिडींग एवं ABPS, जॉब कार्ड सत्यापन तथा SECC मैपिंग की प्रगति की समीक्षा।
15. Good Governance से संबंधित निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा । इस संबंध में सभी DDCs & Pos से अनुरोध है कि वे अपने जिला / प्रखंड में संबंधित Good Governance के चारों initiatives यथा नागरिक सूचना पट्ट, जॉब कार्ड, केस रिकॉर्ड, सात रजिस्टर एवं सृजित परिसम्पत्तियों से संबंधित नये फोटोग्राफ्स(High Resolution) की सॉफ्ट कॉपी साथ लायें।

अनुरोध है कि 14.09.2018 के पूर्व अपने स्तर से उपरोक्त बिन्दुओं की समीक्षा कर ली जाय ताकि क्षेत्र स्तर पर हो रही कठिनाईयों और उसके समाधान के संबंध में चर्चा कर सार्थक परिणाम प्राप्त हो सके। कार्यशाला में समस्याओं को उठाने पर तत्काल समाधान में कठिनाई हो सकती है इसलिए यदि जिला स्तरीय बैठक में यदि क्षेत्र से संबंधित कोई समस्या प्राप्त होता है तो विभाग को 12.09.18 तक उपलब्ध करा दिया जाय ताकि ससमय निराकरण कर कार्यशाला में उसका समाधान किया जा सके। मनरेगा अंतर्गत बैंक खाते बंद करने एवं राशि SEGF खाते में स्थानान्तरित करने के संबंध में प्रतिवेदन 12.09.2018 तक विभाग को उपलब्ध करा दिया जाय ताकि वस्तु-स्थिति को कार्यशाला में रखा जा सके ।

अतः दिनांक 14.09.18 को पूर्वाह्न 9.30 बजे से निर्धारित कार्यशाला में भाग लेने के लिये सभी संबंधित पदाधिकारी/कर्मियों को अपने स्तर से निदेशित करते हुये कार्यशाला में भाग लेना सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन

(सी0पी0 खण्डूजा)

निदेशक (सा0वा0)